न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

आपके द्वार कार्यक्रम 2018 राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प अटल सेवा केन्द्र–चण्डावल नगर, तहसील–सोजत

पीठासीन अधिकारीः– श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्या :– 1081/2017

वादीः–	बनाम	प्रतिवादीः–
1.रामलाल, 2.वस्तीमल पिसरान कानाराम जाति–घांची निवासी–चण्डावल तहसील सोजत, पाली (राज0)		नाथूराम गोदी पुत्र मोटाराम जाति–घांची निवासी–चण्डावल, तहसील–सोजत जिला पाली (राज0)।

राजस्व वाद घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री ताराचन्द टांक एवं श्री नवनीत गहलोत अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री शेराराम माली अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

–:: निर्णय ::– दिनांक 14.05.2018

अधिवक्ता मय वादीगण राजस्व वाद, राजस्व वाद घोषणा तथा निषेधाज्ञा वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण स्व0 कानाराम के जायन्दा पुत्र है। वादीगण के चाचा मोटाराम के कोई जायन्दा औलाद न होने से उनके जीवन काल में मोटाराम तथा उसकी पत्नी समदूड़ी ने हिन्दु विधि, संस्कृति एवं परम्परा के अनुसार प्रतिवादी नाथूराम को गोद लिया जो वर्तमान में मोटाराम के वंशज वारिस कहलाता है और जाति समाज, रिश्तेदारान में वह मोटाराम के परिवार से उनका वारिस व उत्तराधिकारी के रूप में पहचाना जाता है। मानवीय न्यायालय में सिकन्दर अली ने एक वाद सिकन्दर अली बनाम देवाराम का घोषणा तथा निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 88/2014 कायम हुआ। उस वाद में भी सिकन्दर अली ने प्रतिवादी संख्या 22 के क्रमांक पर समदूड़ी बेवा मोटाराम के कायम मुकाम पर प्रतिवादी नाथूराम को उनका वारिस एवं गोदी पुत्र होना बताया गया है जिसे तमाम पक्षकारान ने स्वीकार किया है। स्वयं नाथूराम ने मोटाराम का गोदी पुत्र होना इस न्यायालय में स्वीकार किया है। दिनांक 15.04.2015 को माननीय न्यायालय ग्राम चण्डावल में राजस्व लोक अदालत का कैम्प रखा। उस कैम्प में समस्त पक्षकारान ने वाद के अभिकथन को स्वीकार करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की।इस प्राथमिक डिक्री में भी माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी नाथूराम को मोटाराम का गोदी पुत्र होना स्वीकार किया तथा वाद में वर्णित कृषि भूमि के वैध बंटवाड़ा को मौका रैकर्ड तथा कब्जा के अनुसार पक्षकारान के बीच बाई मीट एण्ड बाण्डस के विभाजन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया। माननीय उप तहसीलदार बगड़ी ने दिनांक 18.06.2015 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में विवादित कृषि भूमि का प्रस्ताव बंटवाड़ा प्रस्तुत किया, जिसमें खसरा संख्या 762 रकबा 3.33 हैक्टर की कृषि भूमि का 1/3 हिस्से का खातेदार रतनलाल पुत्र गणेशराम तथा 1/3 हिस्से का खातेदार समदूड़ी बेवा मोटाराम एवं शेष 1/3 हिस्से का खातेदार वादी रामलाल पुत्र बस्तीमल के साथ–साथ प्रतिवादी नाथुराम को भी खातेदार बता दिया। जबकि प्राथमिक डिक्री तथा वाद की स्वीकृति के आधार पर एवं नाथूराम का मोटाराम द्वारा गोद लिए जाने से उसका नाम समदूड़ी के साथ 1/3 हिस्से में होना चाहिए था जो प्रस्तावित बंटवाड़ा में नहीं किया गया। साथ ही चूंकि वाद में समदूड़ी को क्रमांक 22 पर ही मृतक बता दिया था। फिर भी नायब तहसीलदार बगड़ी एवं पटवारी ने उसको जीवित बताते हुए मात्र राजस्व रेकर्ड के अनुसार उसे 1/3 हिस्से का खातेदार बता दिया। जबकि उसके स्थान पर प्रतिवादी नाथूराम का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। नायब तहसीलदार, बगड़ी तथा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तावित बंटवाड़ा से सिकन्दर अली बनाम देवाराम के तमाम पक्षकारान ने अपनी सहमति प्रकट की। इस सहमति में निर्णय के शीर्षक में प्रतिवादी क्रमांक 22 पर प्रतिवादी नाथूराम को समदूड़ी बेवा मोटाराम का बेवा पुत्र होना घोषित किया है जो निर्णय दिनांक 18.06.2015 से प्रमाणित है। मगर इस निर्णय की पालना तहसीलदार सोजत द्वारा निर्णय के अनुरूप न कर नायब तहसीलदार बगड़ी तथा पटवारी द्वारा प्रस्तावित बंटवाड़ा की फर्द के अनुसार ही मृतका समदूड़ी को ही पुनः खसरा संख्या 762 रकबा 3.33 हैक्टर के 1/3 हिस्से का खातेदार अंकित कर दिया जबकि इस कृषि भूमि पर नाथूराम प्रतिवादी बहैसियत खातेदार के काबिज काश्त है। स्व0 मोटाराम तमाम जायदाद पर प्रतिवादी नाथूराम का ही कब्जा है, वही इसका उपयोग उपभोग कर रहा है। मगर उपरोक्त निर्णय की पालना में

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

को हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड मे 1/3 हिस्से का खातेदार बनाने से तथा कानाराम के ... मे वादीगण के साथ नाथूराम को भी खातेदार अंकित करने से नाथूराम ने नाजायज फायदा ... पुत्र स्व0 कानाराम के हिस्से की भूमि मे 1/3 हिस्सा बताते हुए वादीगण के साथ विवाद पैदा ... दिया। मौके पर व वादीगण के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी कर उसे बेदखल करने की धमकियां दे रहा है। जबकि उसका स्व0 कानारामजी के 1/3 हिस्से पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है और न ही वह इस भूमि का खातेदार या मालिक हो सकता है। मात्र माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना मे हल्का पटवारी द्वारा रेकर्ड मे अमल दरामद के वक्त की गई त्रुटि का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी नाथूराम ने वादी के वैध खातेदारी अधिकारों के सन्दर्भ मे विवाद पैदा कर उनके कब्जे काश्त मे विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 762 मे दखलंदाजी कर जबरदस्ती बेदखल करने की चेतावनी देकर विवाद प्रारम्भ कर दिया। वादीगण ने खसरा नम्बर 762 के 1/3 हिस्से पर वर्तमान मे सावनू फसल बोई है। वादीगण ही इसके एकमात्र खातेदार काश्तकार है। उन्ही के कब्जे काश्त मे यह भूमि है जो अलग बंटी हुई है। मगर राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादी नाथूराम का नाम भी दर्ज होने के कारण उसके वादीगण को स्व0 कानाराम के हिस्से के उक्त कृषि भूमि मे अकेले वादीगण को खातेदार मानने से इन्कार कर अपनी भूमि होना प्रकट कर विवाद पैदा कर दिया व वादीगण के कब्जे मे दखलअंदाजी पैदा कर दिया। अतः ऐसी स्थिति में वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 762 रकबा 3.33 हैक्टर के 1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणा अपने नाम करावे। साथ ही मुकदमा संख्या 88/14 के निर्णय एवं मोटाराम का गोदी पुत्र होने से उनके हिस्से पर खातेदारी दर्ज करवाने की समदूडी बेवा मोटाराम के स्थान पर प्रतिवादी नाथूराम को समदूडी बेवा मोटाराम के 1/3 हिस्से पर वाद घोषणा माननीय न्यायालय से प्राप्त करे। साथ ही प्रतिवादी को इस बात के लिए जरिए निषेधाज्ञा के रोका जावे कि वह खसरा नम्बर 762 रकबा 3.33 हैक्टर के 1/3 हिस्से का वैध खातेदार वादीगण को मानते हुए उनके कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का दखलंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावें। चूंकि उपरोक्त कृषि भूमि सिंचित भूमि है जो खसरा नम्बर 762 मे बने कुएं तथा खसरा संख्या 761 मे बने हुए खड्डे से सिंचित होती है। सिकन्दर बनाम देवाराम के प्रकरण में खसरा संख्या 760, 761, 762/2 को तमाम खातेदारान की संयुक्त कृषि भूमि रखी गई है इसमें भी स्व0 कानाराम के वारिसान वादीगण के साथ नाथूराम को भी 1/9 हिस्से का खातेदार है और इसी अनुरूप वादी तथा प्रतिवादी को उक्त संयुक्त कृषि भूमि रखी गई है इसमे भी स्व0 कानाराम के वारिसान वादीगण के साथ नाथूराम को भी 1/9 हिस्से का खातेदार प्रदर्शित किया है। जबकि वह समदूडी बेवा मोटाराम के स्थान पर 1/9 हिस्से का खातेदार है और इसी अनुरूप वादी तथा प्रतिवादी को उक्त संयुक्त कृषि भूमि मे हिस्सेदार व खातेदार घोषित किया जावें। बिनायदावा दिनांक 20.06.2017 को जब वादीगण अपने हिस्से की कृषि भूमि पर सावनू फसल हेतु खवाई कर रहे थे तब प्रतिवादी द्वारा मौके पर आकर वादी के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी करने, वादीगण को इसका खातेदार मानने से इन्कार कर अपना हिस्सा भी प्रदर्शित करते हुए बेदखल करने की धमकी देने से पैदा हुआ जो अन्दर म्याद है। वादग्रस्त कृषि भूमि व पक्षकारान की सकूनत ग्राम ... मे स्थित होने एवं विवाद स्व0 कानाराम की 1/3 हिस्से की भूमि से सम्बन्धित होने से यह वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। विवाद मात्र कानाराम के खातेदारी से संबंधित होने से अन्य को पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं होने से दावा मात्र प्रतिवादी नाथूराम के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने तथा मौजा ... में स्थित कृषि भूमि ख0 न0 762 रकबा 3.33 हैक्टर में वादीगण को कानाराम के दर्ज 1/3 हिस्से का तथा उक्त भूमि मे दर्ज 1/3 हिस्सा समदूडी बेवा मोटाराम का 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नाथूराम गोदी पुत्र मोटाराम को तथा ख0 न0 760, 761, 762/2 में वादीगण को कानाराम के 1/9 हिस्से का तथा नाथूराम मोटाराम के गोदी पुत्र होने से दर्ज इन्द्राज समदूडी बेवा मोटाराम पर प्रतिवादी नाथूराम गोदी पुत्र मोटाराम को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईस्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जवाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी गण संख्या 1 ने ई0 ज0 दा0 पेश किया कि प्रतिवादी मोटाराम का गोदी पुत्र है तथा जाति समाज में इसी का वंशज कहलाता है। इस प्रकरण मे माननीय तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्रस्तावित बंटवारा तथा वाद में प्रतिवादी को स्व0 मोटाराम का गोदी पुत्र होना स्वीकार किया गया था, मगर निर्णय के अनुरूप राजस्व रेकर्ड में तरमीम न होने की वजह से पक्षकारान के मध्य विवाद पैदा हुआ है। अब संदेह का निवारण कर लिया गया है। प्रतिवादी मोटाराम का ही वारिस है, कानाराम की खातेदारी मे कोई हक हिस्सा नहीं रखता है। पद संख्या 2,3,4,5, में वर्णित वाद के तथ्य प्रतिवादी स्वीकार करता है तथा इसी आधार पर वह मोटाराम के हिस्से की भूमि का वैध खातेदार है। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने मे प्रतिवादी की सहमति है। वादग्रस्त भूमि मे वाद संख्या 88/14 के निर्णय की अनुपालना मे मुझ प्रतिवादी का मुताबिक समदडी बेवा मोटाराम के स्थान पर 1/9 हिस्से की खातेदारी मे दर्ज होना आवश्यक था मगर स्व0

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

के वारिस बताकर उसका 1/9 हिस्सा खातेदारी में दर्ज कर दिया, जिसे दुरूस्थ किए जाने में सहमत है। प्रतिवादी का नाम कानाराम के वारिसान से हटाकर समदूडी बेवा मोटाराम के स्थान दर्ज किया जावे। इस प्रकार ई0 ज0 दा0 पेश कर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने में स्वीकारोक्ति/सहमति दी है।

इसी प्रकार दिनांक 31.10.2017 को एक तहरीरी राजीनामा पेश किया कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी नाथूराम स्व0 मोटाराम का गोदी पुत्र हैं, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा वाद संख्या 88/2014 में स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी नाथूरान वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 762 में समदूडी बेवा मोटाराम का गोदी पुत्र होने के कारण उसके स्थान पर वैध खातेदार है। इस प्रकार वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 760, 761 762/2 में ही प्रतिवादी नाथूराम समदूड़ी बेवा मोटाराम के स्थान पर 1/9 हिस्से का खातेदार है। उसका नाम कानाराम के वारिसान के रूप में दर्ज कर लिया गया है जो गलत है। कानाराम के वादीगण ही एकमात्र वारिस है प्रतिवादी नाथूरान मोटाराम के गोदी पुत्र होने से कानाराम के हिस्से में कोई अधिकारी नहीं रहता है। पक्षकारान ने पूर्व वाद संख्या 88/2014 का पूर्ण रूप से अवलोकन कर आपस में विचार कर अपने संदेह का निवारण कर लिया है। वादी वाद के अनुसार डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। लोक अदालत की भावना से समझाईस कर राजीनामा कर लिया है। खर्चा हर्जा का किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है। तहरीरी राजीनामा को पृथक से तस्दीक किया जाकर पत्रावली बद्ध किया गया। इस प्रकार ई0 ज0 दा0 एवं राजीनामा तस्दीक सुदा अनुसार वादीगण का वाद माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने की स्वीकारोक्ति/सहमति दी हैं।

राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार, 2018 में अयोजित राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प–अटल सेवा केन्द्र– चण्डावल नगर पर पत्रावली आज पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी मय वकुलाय उपस्थित उभय पक्षों को राजस्व लोक अदालत/कोर्ट केम्प–चण्डावल नगर पर सुना गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, ई0 ज0 दा0 प्रतिवादी नाथूराम तथा तहरीरी तस्दीक सुदा राजीनामा तथा राजस्व रेकर्ड मय अन्य समस्त दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक दावा, ई0 ज0 दावा एवं उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तहरीरी तस्दीक सुदा राजीनाना से वाद पत्र की संपुष्टि हो जाने से उक्त वाद डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

–:: **आदेश** ::–

अतः माफिक राजीनामा उभय पक्ष डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है। कि सरहद मौजा–चण्डावल में स्थित कृषि भूमि ख0 न0 762 रकबा 3.33 हैक्टर चा0 दो0, जा0 हो0 व बंजड़ भूमि में गलत रूप से दर्ज प्रतिवादी नाथूराम का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड से हटाये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है तथा वादीगण को उक्त भूमि में 1/3 हिस्से का तथा नाथूराम मोटाराम का गोद पुत्र होने से प्रतिवादी को समदूड़ी बेवा मोटाराम के 1/3 हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार मौजा चण्डावल में स्थित कृषि भूमि ख0 न0 760,761 व 762/2 रकबा 0.1700 हैक्टर गै0 मु0 बेरा, सड़ा व बंजड़ भूमि में से नाथूराम पुत्र कानाराम का इन्द्राज 1/9 के दर्ज हिस्से का हटाये जाने का आदेश तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि में वादीगण को 1/9 हिस्से का तथा समदूड़ी बेवा मोटाराम के 1/3 हिस्से के स्थान पर प्रतिवादी नाथूराम गोद पुत्र मोटाराम को खातेदार काश्तकारा घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति पृथक से भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बार तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तरी लेख्य भण्डार जमा हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार कार्यक्रम 2018 में अयोजित राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प–अटल सेवा केन्द्र–चण्डावल नगर पर लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner